## अब विभागों से जुड़ी 90% सूचनाओं के लिए आरटीआई की जरूरत नहीं

# जन संपर्क पोर्टल; जनता से जुड़ी हर जानकारी एक क्लिक पर ही मिलेगी

पॉलिटिकल रिपोर्टर | जयपुर

सरकार द्वारा जनता को विभाग या योजना के माध्यम से दिए जाने वाले नकद या गैर नकद फायदे की जानकारी अब तक अफसरों की फाइलों में बंद रहती थी। राशन किसको बंटा-किसको नहीं, जनता को कुछ पता नहीं रहता था।

निःशुल्क दवा का फायदा किसने लिया, कितना लिया, इसकी जानकारी जनता को नहीं रहती थी। किस किसान की कर्जमाफी हुई और किसकी नहीं हुई, ऐसी हर जानकारी अफसर छिपाते थे। लेकिन अब अफसर ऐसा नहीं कर पाएंगे। अशोक गहलोत सरकार ने आरटीआई कानून की धारा 4(2) की पालना करने वाला पहले प्रदेश बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस धारा का मतलब यह है कि लोगों को आरटीआई कानून के तहत सूचना मांगनी ही नहीं पड़े। इसलिए जनसंपर्क पोर्टल लांच किया जा रहा है।

अफसर खुद अपने विभाग की हर जानकारी जनता के सामने खोल कर रख दे। पिछले आठ माह की मेहनत से तैयार किया गया जन सूचना पोर्टल-2019 13 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। खुद सीएम अशोक गहलोत पोर्टल को शुरू करेंगे। सिविल सोसायटी के निखिल डे और डीओआईटी की 15 अफसरों की टीम ने आठ माह की मेहनत से इस पोर्टल को तैयार किया है।

### अभी 13 विभागों की 23 स्कीम से होगी जन सूचना पोर्टल की शुरुआत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे आगाज

13 सितंबर को पहले दिन 13 विभागों की 23 योजनाओं की हर जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने के साथ जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। इनमें सीएम निःशुल्क दवा योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, राशन वितरण प्रणाली, किसान कर्जमाफी योजना, अल्पकालीन फसली ऋण योजना, शाला दर्पण कार्यक्रम और दिव्यांग को लाभ जैसी योजनाओं की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध रहेगी। इससे जनता को जानकारी जुटाने में आसानी होगी।

### विभाग नहीं छुपा सकेंगे जानकारी

आरटीआई मंच के कॉर्डिनेटर कमल ने बताया कि जन सूचना पोर्टल अफसरों द्वारा आफिस में छुपाई जाने वाली बातें अब जनता के हाथ में देगा। कोई अफसर जानकारी छिपा नहीं पाएगा। माइनिंग में किस व्यक्ति को खान आवंटित की, किस खान पर जुर्माना लगा अब जनता एक क्लिक में जान लेगी।

*^जनसंपर्क पोर्टल आरटीआई से आगे का विचार है। सभी सरकारी विभागों की 90% जानकारियां यहीं मिलेंगीं।*

**-निखिल डे,** सिविल सोसाइटी